



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 31 मार्च, 2015 ई०

चैत्र 10, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 102/XXXVI(3)/2015/22(1)/2015

देहरादून, 31 मार्च, 2015

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015” पर दिनांक 31 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 11 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015

(अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये -

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:-

- | | |
|---|--|
| संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ | 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| धारा 4 की उपधारा (5) तथा उपधारा (7) का संशोधन | 2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, (जिसे यहाँ आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 में:-
(एक) विद्यमान उपधारा (5) के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द "4 प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "5 प्रतिशत की दर से" रख दिया जायेगा। |

(दो) विद्यमान उपधारा (7) के खण्ड (क) तथा उसके परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "2 प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "3 प्रतिशत की दर से" रख दिया जायेगा।

(तीन) विद्यमान उपधारा (7) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्-

(घ) यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो, कर का भुगतान किये बिना माल क्रय किया हो, और ऐसे माल का प्रयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो, तो ऐसा ब्यौहारी दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का, जो कर निर्धारक प्राधिकारी नियत करे, दायी होगा जो इस उपधारा के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर कर की धनराशि और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अन्तर के डेढ गुने से कम न होगी किन्तु ऐसे अन्तर की धनराशि के दुगुने से अधिक न होगी।

(चार) विद्यमान उपधारा (7) के खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्-

(ङ) यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या कर का भुगतान किये बिना, जैसी भी स्थिति हो, कोई माल, जिसमें कच्चा माल, प्रसंस्कृत माल, पैकिंग मैटीरियल एवं उपभोज्य (Consumables) शामिल है, खरीदा हो, और

(क) ऐसे माल का प्रयोग या उपयोग करके विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल (जैसा कि अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है) को; या

(ख) ऐसे विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल (जैसा कि अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है) को ऐसे पैकिंग मैटीरियल से पैक करने के पश्चात ;

राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या

भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है, तो ऐसा ब्यौहारी, ऐसे माल की बिक्री अथवा खरीद पर, इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी अनुसूचियों में ऐसी वस्तुओं के संबंध में प्राविधानित सामान्य कर की दर से आंकलित कर की राशि एवं इस धारा के अन्तर्गत रियायती कर की दर से आंकलित कर की राशि के अन्तर के डेढ़ गुने के बराबर धनराशि का देनदार होगा।

यह धनराशि ऐसी अवधि हेतु देय होगी जिस अवधि में ऐसे विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल का ऐसा सम्व्यवहार किया गया है और इसका भुगतान उस समय सीमा में किया जायेगा जो ऐसी अवधि, हेतु देय कर को जमा करने के लिये निर्धारित है और ऐसे व्यापारी के लिये लागू है।

स्पष्टीकरण: यह अवधारित करने के लिए कि कोई विक्रय या क्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, राज्य के भीतर या भारत से बाहर निर्यात के दौरान हुआ है या नहीं, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की क्रमशः धारा 3, धारा 4 और धारा 5 लागू होगी।

धारा 6 की उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (8) का संशोधन तथा उपधारा (17) के बाद एक नयी उपधारा (18) का जोड़ा जाना

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में :-

(एक) विद्यमान उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्-

प्रतिबन्ध यह और है कि, किसी भी दशा में, किसी माल के क्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अथवा रिफण्ड की राशि, इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी कानून के अन्तर्गत ऐसे माल के सम्बन्ध में कर की राशि जो सरकारी कोषागार में वास्तव में जमा कर दी गयी है, से अधिक नहीं होगी।

(दो) विद्यमान उपधारा (3) के खण्ड (ड) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात्-

प्रतिबन्ध यह है कि ऊपर खण्ड (घ) के प्रतिनिर्देश से यदि ऐसे विनिर्मित माल को विक्रय से अन्यथा प्रान्त के बाहर प्रेषण किया जाय तो ऐसे माल के विनिर्माण में सीधे उपयोग की गई कच्ची सामग्री के क्रय पर 3 प्रतिशत के अधिक भुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा;

(तीन) विद्यमान उपधारा (8) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात्-

प्रतिबन्ध यह है कि मद (छ) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहारों के सम्बन्ध में माल के विनिर्माण में सीधे उपयोग किये गये कच्चे माल पर 3 प्रतिशत से अधिक भुगतान किये गये कर के संबंध में इनपुट टैक्स की आंशिक रकम अनुज्ञात की जायेगी।

(चार) वर्तमान उपधारा (17) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (18) रख दी जायेगी; अर्थात्-

(18) इस धारा में किसी विरोधी बात के होते हुये भी, यदि क्रय किये गये अथवा पुनः बिक्रीत किये गये माल अथवा ऐसे माल का प्रयोग या उपयोग करके विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल को, ऐसे मूल्य पर बेचा जाता है जो:-

(क) पुर्नबिक्री की दशा में, ऐसे माल के क्रय मूल्य से ; अथवा

(ख) विनिर्माण की दशा में लागत मूल्य से ;

कम है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का दावा, ऐसे माल के अथवा विनिर्मित माल के विक्रय मूल्य पर देय कर की सीमा तक किया जायेगा और उसे उसी सीमा तक अनुमन्य किया जायेगा।

धारा 35 की उपधारा (2), उपधारा (8) तथा उपधारा (10) का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 35 में :-

(एक) विद्यमान उपधारा (2) के खण्ड (घ) में प्रयुक्त शब्द "चार प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "पाँच प्रतिशत की दर से" रख दिया जायेगा।

(दो) विद्यमान उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्—

(8) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति;

(क) इस धारा के अन्तर्गत कटौती करने योग्य राशि की कटौती करने में असफल रहता है तो करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि वह अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो इस धारा के अधीन काटने योग्य ऐसी धनराशि के एक सौ पन्द्रह प्रतिशत से कम एवं एक सौ पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; या

(ख) इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उपधारा (4) की अपेक्षानुसार एवं निर्धारित समयावधि में जमा करने में असफल रहता है, तो करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति;

(i) यदि ऐसी राशि जमा करने में विलम्ब एक माह से अधिक नहीं है, ऐसी धनराशि जो ऐसी राशि के दो प्रतिशत के बराबर होगी, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करेगा; और

(ii) यदि ऐसी राशि जमा करने में विलम्ब एक माह से अधिक है, ऐसी धनराशि, जो ऐसी राशि के पन्द्रह प्रतिशत से कम तथा पच्चीस प्रतिशत से अधिक न होगी, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करेगा।

(तीन) वर्तमान उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्—

(10) उपधारा (8) के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कटौती करने के पश्चात् धनराशि जमा न की गयी हो तो करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश पारित करके निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी राशि को उपधारा (9) में निर्दिष्ट ब्याज सहित जमा करे और ऐसी राशि, ऐसे ब्याज सहित सम्बद्ध व्यक्ति की समस्त आस्तियों पर भार होगी।

धारा 50 की उपधारा (3) का संशोधन

5. "मूल अधिनियम" की धारा 50 वर्तमान उपधारा (3) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात्—
परन्तु यह कि ऐसा कर निर्धारण, इस प्राविधान के आरम्भ होने से पूर्व या उसके बाद उद्भूत हुए मामलों में किया जा सकेगा।

धारा 53 की उपधारा (10) का संशोधन

6. "मूल अधिनियम" की धारा 53 की वर्तमान उपधारा (10) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—

(ख) अधिनियम के निम्न प्राविधानों के अन्तर्गत दिए गये आदेश अथवा निर्देश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा।

(i) धारा 52 के अन्तर्गत पारित कोई आदेश;

(ii) धारा 43 की उपधारा (8) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश ;

- (iii) धारा 43-क की उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश;
- (iv) धारा 48 की उपधारा (10) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश;
- (v) धारा 48-क की उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश।

धारा 58 की उपधारा 7.
(1) का संशोधन

"मूल अधिनियम" की धारा 58 की वर्तमान उपधारा (1) के चार्ट के स्तम्भ-2(अर्थदण्ड) के खण्ड (VII) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्-

(VII) (क)(i) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के पाँच प्रतिशत के बराबर हो, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक न हो;

(ii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के दस प्रतिशत से कम न हो और बीस प्रतिशत से अधिक न हो, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार तक है ;

(iii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के दस प्रतिशत से कम और तीस प्रतिशत से अधिक न होगी, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार से अधिक है।

(ख)(i) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के पाँच प्रतिशत के बराबर हो, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक न हो;

(ii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के दस प्रतिशत से कम और बीस प्रतिशत से अधिक न होगी, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार तक है ;

(iii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के बीस प्रतिशत से कम और तीस प्रतिशत से अधिक न होगी, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार से अधिक है।

(ग) ऐसी धनराशि, जो वसूले गये या अधिक वसूले गये कर की धनराशि से कम न हो, किन्तु उक्त धनराशि के दो गुना से अधिक न हो;

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 102/XXXVI(3)/2015/22(1)/2015

Dated Dehradun, March 31, 2015NOTIFICATIONMiscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Bill, 2015'** (Adhiniyam Sankhya 11 of 2015).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 31 March, 2015.

THE UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2015**(Act No. 11 of 2015)**

An

Act

further to amend The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

(Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty sixth year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Amendment) Act, 2015.
- (2) It shall come into force with immediate effect.

Amendment of sub-section (5) and sub-section (7) of Section 4

2. In section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, (hereinafter referred to as the Principal Act) :-
 - (1) for the words "at the rate of four percent" occurring in the existing clause (a) of sub-section (5), the words "at the rate of five percent" shall be substituted.
 - (2) for the words "at the rate of 2 percent" occurring in clause (a) of sub-section (7) and its first proviso, the words "at the rate of 3 percent" shall be substituted.

(3) For the existing clause (d) of sub-section (7), the following clause shall be substituted; namely-

(d) Where a dealer in whose favour a Recognition Certificate has been granted under clause(b) has purchased the goods after payment of tax at concessional rate or, as the case may be, without payment of tax under this sub-section and has used such goods for a purpose other than that for which the Recognition Certificate was granted or has otherwise disposed of the said goods, such dealer shall be liable to pay as penalty such amount as the Assessing Authority may fix which shall not be less than **one and half times the difference** between the amount of tax on the sale or purchase of such goods payable under this sub-section and the amount of tax payable under any other provisions of this Act, **but not exceeding twice** the amount of such difference.

(4) for the existing clause (e) of sub-section (7), the following clause shall be substituted; namely-

(e) Where a dealer, in whose favour a Recognition Certificate has been granted under clause(b), has purchased any goods including raw material, processing material or packing material and consumables after payment of tax at concessional rate or, as the case may be, without payment of tax under this section, and

(i) the goods(as specified in schedule III) manufactured or processed by using or utilizing such goods; or

(ii) the goods (as specified in schedule III) so manufactured or processed, after being packed with such packing material;

are sold or disposed of otherwise than by way of sale in the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the Territory of India, such dealer shall be liable to pay, an amount equal to one and half times of the difference between the amount of tax calculated on the sale or purchase value of such goods at the general rate of tax provided in the schedules under this Act in respect of such goods and the amount of tax, at the concessional rate of tax under this section, on the sale or purchase such goods.

Such amount shall be due for the period in which such transaction of such manufactured or processed goods is made and be payable within the time limit, as prescribed for depositing the tax due for such period as is applicable in the case of such dealer.

Explanation: For determining whether a sale or purchase in the course of inter-State trade or commerce, within the State, or in the course of export out of India, the provisions of Sections 3, 4 and 5 of the Central Sales Tax Act, 1956, shall respectively apply.

Amendment of sub-section (1), sub-section (3), sub-section (8) and addition of a new sub-section (18) after sub-section (17) of Section 6

3. In section 6 of the Principal Act –

(1) After the existing two proviso of sub-section (1), the following new proviso shall be added; namely-

Provided further that, in no case the amount of input tax credit or refund on any purchase of goods shall exceed the amount of tax, in respect of the same goods actually paid under this act or any earlier law, into the Government treasury;

(2) For the existing first proviso of clause (e) of sub-section (3), the following proviso shall be substituted; namely-

Provided that with reference to clause (d) above, in case such manufactured goods are dispatched outside the state other than by way of sale, a partial amount of input tax credit shall be allowed in respect of tax paid in excess of 3 percent on the raw materials used directly in the manufacture of such goods.

(3) for the existing first proviso of sub-section (8), the following proviso shall be substituted; namely-

Provided that in respect of transactions falling under (item g) a partial amount of input tax credit shall be allowed in respect of tax paid in excess of 3 percent on the raw materials used directly in the manufacture of goods.

(4) after the existing sub-section (17), following new sub-section (18) shall be added; namely-

(18) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where goods purchased or resold or goods manufactured or processed by using or utilizing such purchased goods are sold at a price which is lower than;

(i) the purchase price of such goods in case of resale; or

(ii) the cost price in case of manufacture,

the amount of input tax credit shall be claimed and be allowed to the extent of tax payable on the sale value of such goods or manufactured goods.

Amendment of sub-section (2), sub-section (8) and sub-section (10) of Section 35

4. In section 35 of the Principal Act –

(1) For the words "at the rate of four percent" occurring in clause (d) of the existing sub-section (2), the words "at the rate of five percent" shall be substituted.

(2) for the existing sub-section (8), the following sub-section shall be substituted; namely-

(8) If any such person as is referred to in sub-section (1) or in sub-section (2) or in sub-section (3)-

(a) fails to make the deduction of the amount deductible under this section the Assessing Authority may, after giving such person an opportunity of being heard, by order in writing, direct that such person shall pay, by way of penalty, a sum which shall not be less than one hundred fifteen percent and not more than one hundred twenty five percent of such amount deductible under this section; or

(b) after deduction fails to deposit the amount so deducted in to the Govt. Treasury as required in sub-section (4), the Assessing Authority may, after giving such person an opportunity of being heard, by order in writing, direct that such person shall

(i) pay, by way of penalty, a sum equal to two percent of such amount, if the delay in depositing such amount is not more than a month; and

(ii) pay, by way of penalty, a sum which shall not be less than fifteen percent and not more than twenty five percent of such amount, if the delay in depositing such amount is more than a month.

(3) for the existing sub-section (10), the following sub-section shall be substituted; namely-

(10) Without prejudice to the provisions of sub-section (8), where the amount has not been deposited after deduction, the Assessing Authority, after giving an opportunity of being heard, may pass an order directing such person to deposit such amount together with the interest referred to in sub-section (9) and such amount together with such interest shall be a charged upon all the assets of the person concerned.

Amendment of sub-section (3) of Section 50

5. For the first proviso of the existing sub-section (3) of section 50 of the "Principal Act", the following proviso shall be substituted; namely-
- provided that such assessment may be done in the cases arising before or after the date of commencement of this provision.*

Amendment of sub-section (10) of Section 53

6. For the existing clause (b) of sub-section (10) of section 53 of the "Principal Act", the following clause shall be substituted; namely-
- (b) An appeal against an order or direction passed under the following provisions of the Act, shall be heard and disposed of by a bench of two members;
- (i) an order passed under section 52;
- (ii) a direction given under sub-section (8) of section 43;

Amendment of sub-section (1) of Section 58

(iii) a direction given under sub-section (7) of section 43-A;

(iv) a direction given under sub-section (10) of section 48;

(v) a direction given under sub-section (7) of section 48-A

7. For clause (VII) in column-2 (Penalty) in the chart given in the existing sub-section(1) of section 58 of the "Principal Act", following clause shall be substituted; namely-

(vii) (a)(i) a sum equal to five percent of such tax if the delay in depositing such tax is not more than a month; and

(ii) a sum which shall not be less than ten percent and not more than twenty percent of such tax if the delay in depositing such tax is more than a month and the amount of such tax is up to twenty thousand; and

(iii)) a sum which shall not be less than twenty percent and not more than thirty percent of such tax if the delay in depositing such tax is more than a month and the amount of such tax is more than twenty thousand.

(b)(i) a sum equal to five percent of such tax if the delay in depositing such tax is not more than a month; and

(ii) a sum which shall not be less than ten percent and not more than twenty percent of such tax if the delay in depositing such tax is more than a month and the amount of such tax is up to twenty thousand; and

(iii) a sum which shall not be less than twenty percent and not more than thirty percent of such tax if the delay in depositing such tax is more than a month and the amount of such tax is more than twenty thousand.

(c) a sum not less than the amount of tax realized or realized in excess but not more than twice the said amount.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.